न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/12/2016 वाद दायर दिनांक 09.03.2016

उनवान

1. नारायणी देवी विधवा कन्हैयालाल जाति बारेगामा निवासी कपासन तहसील कपासन।
2. दीपमाला पुत्री कन्हैयालाल जाति बारेगामा निवासी कपासन तहसील कपासन।
3. चंचल पुत्री कन्हैयालाल जाति बारेगामा निवासी कपासन तहसील कपासन।

वादीगण

बनाम

1. मृतक मिटठुलाल पिता गुलाब बारेगामा जाति ब्राहम्ण निवासी कपासन तहसील कपासन के बजाय
   1.1ओमप्रकाश पिता मिट्ठुलाल जाति बारेगामा निवासी कपासन तहसील कपासन।
2. स्व0दुर्गालाल पिता गुलाब जाति बारेगामा मृतक के बजाय
   2.1 मुन्नी पुत्री दुर्गालाल जाति बारेगामा निवासी कपासन तहसील कपासन।
   2.2 मंजु पुत्री दुर्गालाल जाति बारेगामा निवासी कपासन तहसील कपासन।
3. सरकार जरिये तहसीलदार कपासन।
4. भूमि अवाप्ति अधिकारी साहब सार्वजनिक निर्माण विभाग पथ एवं भवन द्वितिय उदयपुर राज0।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत 88, 89, 53, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांकः 31.12.2019

–:निर्णयः–

पत्रावली मिसल तलबी व राजीनामा के प्रार्थना पत्र पर सिगेह से तलब हुई। सक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने खिलाफ प्रतिवादीगण के इश्तकरार हक, विभाजन आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कस्बा कपासन के हल्के बेरूनी में साबिक आराजी नम्बर 1827 रकबा 7 बीघा, 1828 रकबा 16 बीघा, 1835 रकबा 2.16 बीघा 1850 रकबा 3 बीघा, 1849 रकबा 1.15 बीघा किता कुल 5 कुल रकबा 15.07 बीघा स्थित है में मौरूसी जायदाद होने से अपने हक हिस्सा प्राप्त करने बाबत् वाद पत्र प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 09.07.2003 को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 मिटठूलाल में राजीनामा हुआ जिस पर राजीनामा अनुसार दिनांक 31.07.2003 को प्राथमिक डिक्री हुई व दिनांक 29.01.2014 को अन्तिम डिक्री हुई।

जिसकी अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ में कि गई जिस पर दिनांक 09.10.2015 के निर्णय अनुसार निर्णय व डिक्री 29.01.2014 अपास्त कर पुनः विधिवत निर्णय पारित के निर्देशन पर पत्रावली प्राप्त हुई जिसे दिनांक 09.03.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारों को जरिये सूचित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 मिटठूलाल दिनांक 05.10.2016 को फौत हो जाने से दिनांक 24.10.2016 को प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जा0दी का प्रस्तुत हुआ जो स्वीकार होकर मृतक मिटठूलाल के एकमात्र वारिस ओमप्रकाश पिता मिटठूलाल पक्षकार संशोधित हुआ। जिसका संशोधित अनवान आज प्रस्तुत हुआ जो शमिल फाईल रहें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

साबिक आराजी संख्या 1827, 1828, 1835, 1850, 1849 के नये आराजी संख्या 5542, 5543, 5546, 5547, 5548, 5549, 5549/2, 5552 मी, 5553/2, 5565 मी, 5565/2 हैक्ट0 बने है जिस पर आज दिनांक को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने राजीनामा नवीन सिरे से प्रस्तुत किया मूताबिक राजीनामा दिनांक 10.06.2003 को आपसी समझौता एवं बटवाडा बाबत पत्रक निष्पादित किया था उसी के आधार पर न्यायालय में दिनांक 09.07.2003 को राजीनामा पेश किया गया जिसे स्वीकार कर दिनांक 31.07.2003 को प्राथमिक डिक्री जारी कि गई। इस समझौता अनुसार ग्राम कपासन पटवार हल्का कपासन ए तहसील कपासन के खाता संख्या 1081 नया व 864 पुराना की आराजी संख्या 5546 रकबा 0.58 हैक्ट0 में से 0.25 हैक्ट तथा आराजी संख्या 5543 रकबा 0.38 हैक्ट मे से 0.18 हेक्ट0 कुल 0.43 हेक्ट व इसमें आवागमन हेतु 20 फिट लंबा व 20 फीट चौडा रास्ता आराजी संख्या 5542 मे से वादीगण को दिये गये हिस्से के आराजी संख्या 5546/1 रकबा 0.25 हेक्ट व आराजी संख्या 5542/1 रकबा 0.18 हैक्ट कुलिया राजीमाना में मौका पर्चा में कायम किये गए थे। उक्त कुलिया 0.43 हैक्ट0 जमीन मय रास्ता के हक वादीगण के हिस्से में रखा था तथा उक्त हिस्से के अतिरिक्त गुलाब व मिट्ठूलाल पिता गुलाब की समस्त मौरूसी व स्वअर्जित समस्त चल–अचल संपति केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 मिटठूलाल के हक हिस्से में रखी थी। वादीगण एवं अन्य प्रतिवादीगण का इसमें कोई हक हिस्सा नही रखा था। प्रतिवादी संख्या 1 के स्वर्गवास के पश्चात इनके एकमात्र वारिस उनके पुत्र ओमप्रकाश है वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी स्वतंत्र सहमति से लोक अदालत की भावना से पुनः नया राजीनामा हो गया है जिसमें उक्त समस्त आराजीयात में कुलिया 0.43 हैक्ट0 मय रास्ता प्रतिवादी ओमप्रकाश के हिस्से में रखा है जिसमें

वादीगण का कोई हक हिस्सा नही है जिसकी लिखा पढी पृथक से दिनांक 30.10.2019 को कर ली गई है वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में नही है ना ही पूर्व में दर्ज रहा है प्रतिवादी ओमप्रकाश का नाम पर तनहा दर्ज है तथा कब्जा व काश्त भी प्रतिवादी ओमप्रकाश करता चला आ रहा है। अतः उनके नाम पर एवं उनके कब्जे में यथावत रखी जावें उसमें वादीगण को कोई आपत्ति नही है।

पत्रावली में दिनांक 24.09.2012 को प्रतिवादीगण मिटठुलाल की ओर से आदेश 23 नियम 3 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर पक्षकारान के मध्य दिनांक 10.06.2003 के समझौते अनुसार ग्राम कपासन के गुलाबसागर के पास अंबालाल कुआ व मूरलानामी ग्राम कपासन पटवार कपासन हल्का कपासन ए तहसील कपासन के खाता संख्या नया 1865 व पुराना 1852 की आराजी नम्बर 3095, 3096, 3097, 3181, 3182 कुल किता 5 रकबा 0.58 हेक्टेयर व खाता 1165 नया व पुराना 1172 का आराजी नम्बर 2045 रकबा 0.37 हेक्टयर चाह 2049, 5755 तनहा प्रतिवादी मृतक मिटठुलाल के हिस्से में रखी थी व वादीगण का इसमें हक हिस्सा नहीं रखा था व इसकी स्वीकारोक्ति वादीगण ने प्रार्थना पत्र के जवाब दिनांक 03.01.2013 में डिक्री में उक्त आराजीयात को भी समाविष्ट करने की स्वीकृति दी है। अतः मौजुदा प्रकरण की डिक्री में उक्त आराजीयात प्रतिवादी ओमप्रकाश जो कि मृतक मिटठुलाल प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है के तनहा नाम पर दर्ज करने व वादीगण का नाम विलोपित करने का अनुतोष प्रदान कियो जावें जिसमें वादीगण को कोई आपत्ति नही है।

उपरोक्त राजीनामें अनुसार राजीनामें की कालॅम संख्या 1 में उल्लेखित कृषि आराजीयात आराजी संख्या 5546 तथा 5543 का कुल रकबा 0.43 हेक्टयर व इसमें आवागमन हेतु 20 लंबा व 20 चौडा रास्ता जो कि आराजी यंख्या 5542 मे से वादीगण को दिया गया था जो कि वर्तमान में राजस्व अभिलेख के खाता संख्या 1081 में मृतक मिटठुलाल के वारिस ओमप्रकाश के नाम पर दर्ज है उक्त 0.43 हैक्टयर व रास्ता अनुरूप राजीनामा ओमप्रकाश के नाम दर्ज रखा जावें तो उसमें वादीगण को कोई आपत्ति नही है साथ ही राजीनामें की कालम संख्या 3 में उल्लेखित कृषि भूमि खाता संख्या 1856 का कुल रकबा 0.58 हेक्टयर जिसमें वादीगण का प्रत्येक का 1/27 हिस्सा दर्ज अभिलेख है व खाता संख्या 1165 का कुल रकबा 0.37 हैक्टयर जिसमें वादीगण का प्रत्येक का 1/9 हिस्सा दर्ज अभिलेख है तथा चाह संख्या 2049 व 5755 में निहित वादीगण का हिस्सा वादीगण का नाम विलोपित करते हुए प्रतिवादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ओमप्रकाश के नाम अनुरूप राजीनामा दर्ज किया जाता है इसमें वादीगण को कोई आपत्ति नही है। वादी गण का उक्त राजीनामें के उपरांत प्रस्तुत वादपत्र की कॉलम संख्या 1 में उल्लेखित कृषि भूमि में जो कि वादीगण के पितामह श्री गुलाब जी की पैतृक कृषि भूमि में अब कोई हक व हिस्सा उक्त राजीनामा होने के उपंरात वादीगण का निहित नहीं रहा है वादीगण व उनके उतराधिकारी भविष्य में उक्त कृषि भूमि में अनुरूप राजीनामा किसी भी प्रकार का क्लेम नही करेगें व राजीनामा में अनुसार पांबद रहेगें।

वादीगण वाद पत्र में वर्णित प्रतिवादी संख्या 2/1 मुन्नी पुत्र दुर्गालाल बारेगामा तथा प्रतिवादी संख्या 2/2 मंजु पुत्री दुर्गालाल बारेगामा के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष नही चाहती है साथ ही प्रतिवादी संख्या 3 व 4 प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से संयोजित है। इसलिए उपरोक्त राजीनामा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 मृतक मिटठुलाल के उतराधिकारी पुत्र श्री ओमप्रकाश पिता स्व0 मिटठुलाल की ओर से संयुक्त रूप से पेश है।

अतः निवेदन है कि वाद पत्र में वर्णित समस्त आराजियात तथा उक्त राजीनामें का कालम संख्या 1 में उल्लेखित कृषि भूमि खाता संख्या 1081 की आराजी संख्या 5546 व 5543 में से कुल 0.43 हैक्टयर व इसमें आवागमन हेतु आराजी संख्या 5542 में से 20 लंबा व 20 फिट चौडा रास्ता अनुरूप राजीनामा प्रतिवादी संख्या 1 श्री ओमप्रकाश पुत्र स्व0 मिटठुलाल के नाम खातेदारी में हि दर्ज रखा जावें व राजीनामें की कालम संख्या 3 में उल्लेखित खाता संख्या 1865 के कुल रकबा 0.58 हेक्टयर जिसमें वादीगण का प्रत्येक का 1/27 वा हिस्सा दर्ज है व खाता संख्या 1165 का कुल रकबा 0.37 हैक्टयर जिसमें वादीगण का प्रत्येक का 1/9 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश पुत्र स्व0 मिटठुलाल के साथ सयुंक्त रूप से दर्ज है साथ ही चाह सख्या 2049 व 5557 में निहित है उक्त सभी आराजीयात में वादीगण के हिस्से में से वादीगण का नाम विलोपित फरमा उक्त हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश के नाम खातेदारी से दर्ज किया जावें एवं उक्त राजीनामें अनुरूप अंतिम डिक्री पारित फरमाई जावें।

हमने वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को राजीनामें की ईबारत पढकर सुनाई जिसको पक्षकारान ने सुन समझकर स्वीकार किया वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री नरेश शर्मा ने कि व प्रतिवादी संख्या 1 की पहचान अधिवक्ता ठाकुर प्रसाद व्यास ने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की अतः राजीनामा बाद तस्दीक शामिल फाईल रहे। पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजीनामे का अवलोकन किया वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत राजीनामे में आशिंक रूप स्वीकार किया जाता है कि वाद पत्र के कालम संख्या 1 में वर्णित मौजा कपासन की साबिक आराजी नम्बर 1827, 1828, 1835, 1849, 1850, जिसकी हाल आराजी संख्या 5542, 5543, 5546, 5547, 5548, 5549, 5549/2, 5552 मी, 5553/2, 5565 मी, 5565/2 जिसमें वादीगण ने अपने 1/3 हिस्से बाबत् वाद पत्र प्रस्तुत किया जिस पर पूर्व में दिनांक 09.07.2003 को प्रस्तुत राजीनामें में वादीगण को प्राप्त हिस्सा 5546/1 रकबा 0.25 हैक्टयर व आराजी संख्या 5542/1 रकबा 0.18 हैक्टयर कुलिया 0.43 हैक्टयर प्राप्त हुआ परन्तु राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज नही हुआ। जिसको अब प्राप्त नही करना चाहने से व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर ही अपना हक–हिस्सा रखे जाने से पत्रावली में कोई अनुतोष नही चाहते है अतः उक्त अनुतोष नही चाहने से पत्रावली में इसी स्तर पर कार्यवाही ड्राप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official